न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
09 / 2024	दावा 88, 53 RTA	02.02.2024	20.01.2025

1. नियाजअली खां
2. लियाकतअली खां
3. बशीर खां

पुत्रगण श्री अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू (राज)

–वादीगण–

बनाम

1. मकसूद खां पुत्र श्री अस्तअली खां
2. अफजल खान पुत्र युसुफ खां
3. ताहिरा बानो पुत्री युसुफ खां
4. भंवरी पत्नी युसुफ खां
5. मुबारिकअली खान पुत्र युसुफ खां
6. मोहम्मदतौफीक पुत्र युसुफ खां
7. शबनमबानो पुत्री युसुफ खां
8. नजीर खां पुत्र फले खां

जाति कायमखानी निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू (राज)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ वादीगण
2. अधिवक्ता श्री विनयकुमार शर्मा प्रतिवादी सं. 1 ता 8

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं व ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू के स्थायी निवासी हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाके रोही बालरासर तंवरान व राणासर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, प्रतिवादी संख्या 08, जो ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू का स्थायी निवासी है, की भी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त रूप से बालरासर तंवरान में चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 8 के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 631 / 167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633 / 475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर व खेत खसरा नम्बर 355 / 96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357 / 98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान त[illegible] में स्थित चली आ रही है। उक्त कृषि भूमियों में से बालरासर तंवरान में स्थित भूमि में वादी [illegible] नियाजअली खां का 1 / 10 हिस्सा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां का 1 / 10 हिस्सा, [illegible] बशीर खां का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मकसूद खां का 1 / 10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता [illegible] 46 / 1935 – 46 / 1935 हिस्सा प्रत्येक का बराबर–बराबर हिस्सा व प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां का 59 / 129 हिस्सा संयुक्त चला आ रहा है एवं राणासर में स्थित भूमि में वादी संख्या 1 नियाजअली खां का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 3 बशीर खां का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मकसूद खां का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/30 – 1/30 हिस्सा चला आ रहा है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वज अस्तअली खां द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवनकाल में ही सम्पूर्ण कृषि भूमियों खेत खसरा नम्बर 631/167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर व खेत खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू कुल 13.0637 हैक्टेयर यानि 51 बीघा 13 विश्वा का बाहमी बंटवारा नीचे लिखे अनुसार किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को दिया गया था, इसी अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है:–

(क) वादी नियाजअली खां को वाके रोही राणासर के खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633/475 में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा भूमि पांती में दी गई। वादी सं. 3 बशीर खां के हिस्से व पांती में खसरा नम्बर 631/167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर (8 बीघा 12 विश्वा) सम्पूर्ण व वाके रोही बालरासर तंवरान के खेत खसरा नम्बर 357/98 की कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से दक्षिणी–पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर यानि 5 बीघा भूमि दी गई, इस प्रकार वादी सं. 3 के राणासर व बालरासर तंवरान की कुल कृषि भूमि में 3.4398 हैक्टेयर यानि 13 बीघा 12 विश्वा हिस्सा व पांती में चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां को रोही राणासर के खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 13 विश्वा पांती में दी गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 7 जों युसुफ खां पुत्र अस्तअली खां के वारिस हैं, को संयुक्त रूप से रोही बालरासर तंवरान के खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से उत्तरी–पूर्वी कोने की 2.2764 हैक्टेयर यानि 9 बीघा हिस्सा व पांती में दी गई तथा प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां के रोही बालरासर तंवरान के खेत खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर यानि 1 बीघा 5 विश्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर तादादी 6.5255 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर भूमि हिस्सा व पांती में चली आ रही है। इसी कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने तथा खाता विभाजन किया जाना कानूनन आवश्यक है, जिसके लिये घोषणात्मक खातेदारी एवं खाता विभाजन हेतु दावा पेश किया जा रहा है, एनेक्जर "ए" जो वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तुत है, वह दावे कर भाग व जूज माना जावे।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य वादगत कृषि भूमियों का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित चली आ रही है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमा[illegible] विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अन्देशा है। वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति [illegible] जो [illegible]ने कब्जे व हिस्से की भूमि को काश्त करते हैं और अपने हिस्से की [illegible] रखना चाहते हैं। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक [illegible] हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेवें। [illegible]गण ने प्रतिवादीगण को काफी बार कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने–अपने हिस्से का सहमति से विभाजन करवा लेवें परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को हां हूं करते रहे और आखिरकार दिनांक 24.01.2024 को सहमति से विभाजन कराने से साफ इन्कार हो गये। इसलिए यही इस दावे का वाद कारण है और वादीगण उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार, सह खातेदार, कब्जेदार होने के कारण उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

यह कि दावा कृषि भूमि के विभाजन का है इसलिये तहसीलदार महोदय, चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया प्रतिवादी संख्या 9 बनाया गया है मगर दावा में सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि वादगत कृषि भूमि वाके रोही राणासर व बालरासर तंवरान जहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण वाद श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है जिसकी मालियत 2000/– रूपये तय की जाकर निर्धारित न्याय शुल्क 04/– रूपये पर दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:–

(क) घोषित किया जावे कि वादी नियाजअली खां को खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633/475 में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा भूमि वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू में हिस्से पांती में दी गई। वादी सं. 3 बशीर खां के हिस्से व पांती में खसरा नम्बर 631/167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर (8 बीघा 12 विश्वा) यानि सम्पूर्ण वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 357/98 की कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से दक्षिणी–पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर यानि 5 बीघा वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू, इस प्रकार वादी सं. 3 के राणासर तहसील व जिला चूरू व बालरासर तंवरान की कुल कृषि भूमि में से 3.4398 हैक्टेयर यानि 13 बीघा 12 विश्वा हिस्सा व पांती में चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां के खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 13 विश्वा वाके रोही राणासर में हिस्से पांती में दी गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 7 को, जो युसुफ खां पुत्र अस्तअली खां के वारिस हैं, को संयुक्त रूप से खेत खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से 2.2764 हैक्टेयर यानि 9 बीघा उत्तरी–पूर्वी कोने की वाके रोही बालरासर तंवरान में हिस्सा पांती में दी गई व शेष खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर यानि 1 बीघा 5 विश्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर तादादी 6.5255 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू की कृषि [illegible] सं. 8 नजीर खां के हिस्से पांती में चली आ रही है। [illegible] व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की खातेदारी घोषित की जाकर [illegible] रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर, खाता विभाजन किया जाकर एनेक्जर "ए" के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

44

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से श्री विनयकुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी सं. 9 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से जवाबदावा इकबालदावा के रूप में पेश किया गया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने अपने इकबाल जवाबदावा में अंकित किया कि वादपत्र की मद सं. 1 में दर्ज तथ्य सही लिखे होने से स्वीकार है। कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 631/167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसमें वादी संख्या 1 नियाजअली खां का 1/10 हिस्सा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां का 1/10 हिस्सा, वादी सं. 3 बशीर खां का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मकसूद खां का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के 46/1935 – 46/1935 हिस्सा प्रत्येक का बराबर–बराबर हिस्सा व प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां का 59/129 हिस्सा वाके रोही बालरासर तंवरान में स्थित चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 631/167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 नियाजअली खां का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 3 बशीर खां का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मकसूद खां का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/30 – 1/30 हिस्सा वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है।

वाद पत्र की मद सं. 2 व 3 में दर्ज तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के पूर्वज अस्तअली खां द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवनकाल में ही सम्पूर्ण कृषि भूमियों खेत खसरा नम्बर 631/167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर व खेत खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू कुल 13.0637 हैक्टेयर यानि 51 बीघा 13 विश्वा का बाहमी बंटवारा नीचे लिखे अनुसार किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को दिया गया था, इसी अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त चला आ रहा

(क) वादी नियाजअली खां को खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा ... वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633/475 में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू में हिस्से ... में दी गई। वादी सं. 3 बशीर खां के हिस्से व पांती में खसरा नम्बर 631/167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर (8 बीघा 12 विश्वा) यानि सम्पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

44
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 357/98 की कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से दक्षिणी–पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर यानि 5 बीघा वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू, इस प्रकार वादी सं. 3 के राणासर व बालरासर तंवरान की कुल कृषि भूमि में 3.4398 हैक्टेयर यानि 13 बीघा 12 विश्वा हिस्सा व पांती में चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां के खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 13 विश्वा वाके रोही राणासर में हिस्से पांती में दी गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 7 को, जो युसुफ खां पुत्र अस्तअली खां के वारिस हैं, को संयुक्त रूप से खेत खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से 2.2764 हैक्टेयर यानि 9 बीघा जो उत्तरी–पूर्वी कोने की वाके रोही बालरासर तंवरान में हिस्सा पांती में दी गई व शेष खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर यानि 1 बीघा 5 विश्वा व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर तादादी 6.5255 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां के हिस्से पांती में चली आ रही है। दावा के साथ प्रस्तुत एनेक्जर ''ए'' सही लिखा होने से स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद सं. 4, 5, 6 में दर्ज तथ्य सही अंकित किये गये होने से स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद सं. 7 व 8 में दर्ज कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि वाद पत्र में दर्ज अनुतोष (क) व (ख) वादी कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने इकबालदावा के **''विशेष कथन''** में अंकित किया कि वादी नियाजअली खां को खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा, वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633/475 में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 14 विश्वा भूमि वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू में हिस्से पांती में दीं गई। वादी सं. 3 बशीर खां के हिस्से व पांती में खसरा नम्बर 631/167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर (8 बीघा 12 विश्वा) यानि सम्पूर्ण वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 357/98 की कुल तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से दक्षिणी–पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर यानि 5 बीघा वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू, इस प्रकार वादी सं. 3 के राणासर तहसील व जिला चूरू व बालरासर तंवरान की कुल कृषि भूमि में से 3.4398 हैक्टेयर यानि 13 बीघा 12 विश्वा हिस्सा व पांती में चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां के खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल 7.3475 में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर यानि 9 बीघा 13 विश्वा वाके रोही राणासर में हिस्से पांती में दी गई। प्रतिवादी सं. 2 ता 7 को, जो युसुफ खां पुत्र अस्तअली खां के वारिस हैं, को संयुक्त रूप से खेत खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर में से 2.2764 हैक्टेयर यानि 9 बीघा उत्तरी–पूर्वी कोने की वाके रोही बालरासर तंवरान में हिस्सा पांती में दी गई व शेष खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर यानि 1 बीघा 5 विश्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर तादादी 6.5255 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां के हिस्से पांती में चली आ रही [illegible] कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 [illegible] रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कर, खाता विभाजन किया जाकर [illegible] मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी की जावे। इस प्रकार हमारा विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करेंगे।

दावा में उपस्थित समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबालदावा पेश होने से तनकियात कायम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए पत्रावली सीधे साक्ष्यवादी में रखी गई जिस पर साक्ष्यवादी नियाजअलह खां ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 पेश किया जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी के गवाह से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि हम साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

वकील उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दावा वादीगण पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दावा पर अपनी बहस में दावा एवं इकबाल जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि दावा में प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से इकबालदावा पेश हो चुका है जिसमें उन्होंने वादीगण के दावा में अंकित समस्त कथनों एवं तथ्यों को स्वीकार किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 का वादगत कृषि भूमियों के मौके पर दावा के संलग्न एनेक्जर ''ए'' में दर्शितानुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा एनेक्जर ''ए'' के अनुरूप ही खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं, किसी भी पक्षकार को वादीगण के दावा एवं प्रतिवादीगण के इकबालदावा में चाहे गये अनुतोष को दिये जाने में कोई एतराज या आपत्ति नहीं है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित कथनों एवं पेश दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से साबित करवाया है तथा वकील प्रतिवादीगण ने ना तो गवाहों से जिरह की है तथा ना ही हमारे दावा के विरोध में कोई लिखित या मौखिक कथन किया है बल्कि अपना इकबालदावा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने दावा के विरोध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। अब किसी भी पक्षकार को दावा स्वीकार करने बाबत कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि हमने इकबालदावा पेश किया है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। अतः दावा वादीगण एनेक्जर ''ए'' में दर्शितानुसार स्वीकार फरमाया जावे।

दावा वादीगण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां हैं। उक्त कृषि भूमियों का बाहमी मौखिक विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के जीवनकाल में ही हो गया था जिसके अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने दावा के साथ वादगत कृषि भूमियों के मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा–काश्त को दर्शित करते हुए एनेक्जर ''ए'' पेश कर इसी के अनुसार खातेदारी घोषित कर खाता विभाजन करने का अनुतोष चाहा है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 8 को [illegible] प्रतिवादीगण भी इसी एनेक्जर ''ए'' के अनुसार खाता विभाजन कर अलग खाते का [illegible] में सहमत हैं। दावा में प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने अपना इकबालदावा [illegible] इकबालदावा पेश करने से कोई विवाद बिन्दु भी प्रकट [illegible] में उपस्थित गवाह ने भी दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया है। वकील उभयपक्ष द्वारा [illegible] पर की गई बहस में भी दावा में अंकित अनुतोष एवं एनेक्जर ''ए'' में दर्शितानुसार दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है। वादगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका बाहमी विभाजन कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर पक्षकारों द्वारा किया जा चुका है तथा अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। सभी पक्षकार मौखिक बाहमी विभाजन एवं एनेक्जर ''ए'' के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवा कर खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इकबालदावा के अनुरूप दावा को संलग्न एनेक्जर ''ए'' के अनुसार स्वीकार किया जाना न्याय संगत है तथा दावा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

निर्णय

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 631/167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू में से वादी नियाजअली खां को खेत खसरा नम्बर 633/475 की कुल तादादी 7.3475 वाके रोही राणासर में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर (9 बीघा 14 विश्वा) का, वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633/475 वाके रोही राणासर में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर (9 बीघा 14 विश्वा) का, वादी सं. 3 बशीर खां को खसरा नम्बर 631/167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर वाके रोही राणासर (8 बीघा 12 विश्वा) सम्पूर्ण व खेत खसरा नम्बर 357/98 की तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से दक्षिणी–पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर (5 बीघा) कुल तादादी 3.4398 हैक्टेयर (13 बीघा 12 विश्वा) का, प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां को खेत खसरा नम्बर 633/475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर वाके रोही राणासर में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर (9 बीघा 13 विश्वा) का, प्रतिवादी सं. 2 ता 7 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से उत्तरी–पूर्वी कोने की 2.2764 हैक्टेयर (9 बीघा) में ब हिस्सा बराबर का एवं प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां को खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर (1 बीघा 5 विश्वा) सम्पूर्ण वाके रोही बालरासर तंवरान व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर (10 बीघा 11 विश्वा) कुल तादादी 2.9845 हैक्टेयर (11 बीघा 16 विश्वा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त घोषणा के अनुरूप दावा के संलग्न एनेक्जर ''ए'' में दर्शितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	खसरा नम्बर	तादादी हैक्टेयर में
1.	नियाज अलीखां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	राणासर	633/475 मि. पश्चिमी	2.4492
2.	लियाकत अलीखां पुत्र [illegible] कायमखानी निवासी [illegible]	[illegible]	633/475 मि. मध्य	2.4492
3.	मकसूद खां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	राणासर	633/475 मि. मध्य	2.4491

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

4.	बशीर खां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	बालरासर तंवरान	357 / 98 मि. दक्षिणी–पूर्वी	1.2646
		राणासर	631 / 167	2.1752
		कुल	किता–2	3.4398
5.	भंवरी पत्नी युसुफ अली खां, अफजल खान, मुबारिक अली खान, मोहम्मद तोफीक पुत्रगण युसुफ अली खां, ताहिरा बानो, शबनम बानो पुत्रियां युसुफ अली खां जाति कायमखानी निवासी राणासर ब हिस्सा बराबर खातेदार	बालरासर तंवरान	357 / 98 मि. उत्तरी–पूर्वी	2.2764
6.	नजीर खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार राहिन सम्पूर्ण हिस्सा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू	बालरासर तंवरान	355 / 96 पूर्ण 357 / 98 मि. पश्चिमी	0.3161 2.6684
		कुल	किता–2	2.9845

दावा के संलग्न एनेक्जर ''ए'' भविष्य में दावा एवं डिकी का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प चूरू

इजलास : श्री बिजेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. नियाजअली खां
2. लियाकतअली खां
3. बशीर खां

पुत्रगण श्री अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू (राज)

—वादीगण—

बनाम

4. मकसूद खां पुत्र श्री अस्तअली खां
5. अफजल खान पुत्र युसुफ खां
6. ताहिरा बानो पुत्री युसुफ खां
7. भंवरी पत्नी युसुफ खां
8. मुबारिकअली खान पुत्र युसुफ खां
9. मोहम्मदतौफीक पुत्र युसुफ खां
10. शबनमबानो पुत्री युसुफ खां
11. नजीर खां पुत्र फले खां

जाति कायमखानी निवासी राणासर तहसील व जिला चूरू (राज)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 09 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नन्दराम राहड़ व श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब श्री विनय कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:—

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 631 / 167 तादादी 2.1752 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633 / 475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 9.5227 हैक्टेयर वाके रोही राणासर तहसील व जिला चूरू व खेत खसरा नम्बर 355 / 96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 357 / 98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल तादादी 6.5255 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान तहसील व जिला चूरू में से वादी नियाजअली खां को खेत खसरा नम्बर 633 / 475 की कुल तादादी 7.3475 वाके रोही राणासर में से पश्चिमी दिशा की 2.4492 हैक्टेयर (9 बीघा 14 विश्वा) का, वादी सं. 2 लियाकतअली खां को खसरा नम्बर 633 / 475 वाके रोही राणासर में से मध्य (बीच) की 2.4492 हैक्टेयर (9 बीघा 14 विश्वा) का, वादी सं. 3 बशीर खां को खसरा नम्बर 631 / 167 की तादादी 2.1752 हैक्टेयर वाके रोही राणासर (8 बीघा 12 विश्वा) सम्पूर्ण व खेत खसरा नम्बर 357 / 98 की तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से दक्षिणी—पूर्वी कोने की 1.2646 हैक्टेयर (5 बीघा) कुल तादादी 3.4398 हैक्टेयर (13 बीघा 12 विश्वा) का, प्रतिवादी सं. 1 मकसूद खां को खेत खसरा नम्बर 633 / 475 तादादी 7.3475 हैक्टेयर वाके रोही राणासर में से पूर्वी तरफ की 2.4491 हैक्टेयर (9 बीघा 13 विश्वा) का, प्रतिवादी सं. 2 ता 7 को संयुक्त रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से उत्तरी–पूर्वी कोने की 2.2764 हैक्टेयर (9 बीघा) में ब हिस्सा बराबर का एवं प्रतिवादी सं. 8 नजीर खां को खसरा नम्बर 355/96 तादादी 0.3161 हैक्टेयर (1 बीघा 5 विश्वा) सम्पूर्ण वाके रोही बालरासर तंवरान व खसरा नम्बर 357/98 तादादी 6.2094 हैक्टेयर वाके रोही बालरासर तंवरान में से पश्चिमी तरफ की 2.6684 हैक्टेयर (10 बीघा 11 विश्वा) कुल तादादी 2.9845 हैक्टेयर (11 बीघा 16 विश्वा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त घोषणा के अनुरूप दावा के संलग्न एनेक्जर "ए" में दर्शितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	खसरा नम्बर	तादादी हैक्टेयर में
1.	नियाज अलीखां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	राणासर	633/475 मि. पश्चिमी	2.4492
2.	लियाकत अलीखां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	राणासर	633/475 मि. मध्य	2.4492
3.	मकसूद खां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	राणासर	633/475 मि. मध्य	2.4491
4.	बशीर खां पुत्र अस्त अलीखां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार	बालरासर तंवरान	357/98 मि. दक्षिणी–पूर्वी	1.2646
		राणासर	631/167	2.1752
		कुल	किता–2	3.4398
5.	भंवरी पत्नी युसुफ अली खां, अफजल खान, मुबारिक अली खान, मोहम्मद तोफीक पुत्रगण युसुफ अली खां, ताहिरा बानो, शबनम बानो पुत्रियां युसुफ अली खां जाति कायमखानी निवासी राणासर ब हिस्सा बराबर खातेदार	बालरासर तंवरान	357/98 मि. उत्तरी–पूर्वी	2.2764
6.	नजीर खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी राणासर खातेदार राहिन सम्पूर्ण हिस्सा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू	बालरासर तंवरान	355/96 पूर्ण 357/98 मि. पश्चिमी	0.3161 2.6684
		कुल	किता–2	2.9845

दावा के संलग्न एनेक्जर "ए" भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20 माह जनवरी सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:59 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्र सिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)